

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
जनसंपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
प्रेस विज्ञप्ति 02 सितंबर 2020

कोविड -19 के चलते बदलते हालात में कानूनी पेशेवरों की बढ़ती भूमिका पर जामिया में व्याख्यान

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की फैकल्टी ऑफ लॉ ने 27 अगस्त, 2020 को गूगल मीट पर 'कोविड -19 से बदले हालात में 'लॉ प्रोफेशनल की विस्तारित भूमिका' विषय पर ऑनलाइन एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन किया। इसे फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया। प्रसिद्ध शिक्षाविद और साइबर लॉ विशेषज्ञ प्रो (डॉ) तबरेज अहमद, प्रो-वाइस चांसलर और डीन, जीडी गोयनका विश्वविद्यालय ने व्याख्यान दिया। इसकी अध्यक्षता जामिया के विधि विभाग के डीन, प्रो (डॉ) इकबाल हुसैन ने की।

इस व्याख्यान का संचालन मिस आयुषी बाना ने किया था, जो बीए एलएलबी (ऑनर्स) की अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। इसमें 200 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया जिसमें विधि क्षेत्र के अध्यापक, छात्र और अनुसंधान विद्वान शामिल थे।

प्रो (डॉ) इकबाल हुसैन ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में चर्चा के लिए चुने गए विषय के बारे में विस्तार से बताया और एक पेशेवर वकील के लिए ई-नाॅलेज, क्लाइट मनेजमेंट, टाईम मनेजमेंट और हमेशा प्रासंगिक रहने के महत्व के बारे में बताया।

प्रो (डॉ) तबरेज अहमद ने कानूनी शिक्षा और कानूनी पेशे के बारे में आंकड़ों के साथ अपना व्याख्यान शुरू किया। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 15 से 20 लाख वकील पहले से ही काम कर रहे हैं और लगभग 70 हजार वकील हर साल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की पढ़ाई पूरी करके कानूनी पेशे में शामिल होते हैं। इसकी वजह से बहुत कड़ी प्रतियोगिता है। इन हालात में कानूनी पेशेवर के रूप में आगे बढ़ने और पाठ्यक्रमों को समय के अनुरूप नयी शकल देने पर भी विचार करना ज़रूरी है।

वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, राष्ट्रीय विधि विद्यालयों और 5 साल के एकीकृत पाठ्यक्रम के विचार को आगे आगे लाने के लिए उन्होंने, स्वर्गीय प्रोफेसर माधव मेनन का आभार व्यक्त किया।

प्रो अहमद ने बताया कि कैसे उदारीकरण, निजिकरण और वैश्वीकरण जैसी तीन वजहों से देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों आगमन बढ़ा और इसके चलते कानूनी आवश्यकताएं भी बढ़ीं। इससे कॉर्पोरेट वकीलों और नॉन लिटिजेंट वकीलों की मांग भी बढ़ी। आंकड़ों के हवाले से उन्होंने बताया कि हर साल लगभग 2 लाख कंपनियाँ पंजीकृत होती हैं जिन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करने तथा विवादों का निपटारा करने के लिए वकीलों की भी आवश्यकता होती है।

उन्होंने बताया कि कोविड -19 महामारी के हालात में इंटरनेट से संबंधित अपराधों में तीन गुना का इज़ाफ़ा हुआ है और इससे, इस क्षेत्र में भी वकीलों के लिए गुंजाइश बढ़ी है।

जामिया के विधि विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ सुभ्रदिप्ता सरकार ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों का धन्यवाद किया।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया समन्वयक